

\* ई-मेल  
स्पीड पोस्ट/निबंधित  
डाक

पत्रांक-2ब०/अभियंत्रण कोषांग(वेतन) 12-01/2017 132 /न०वि०एवंआ०वि०

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल  
सरकार के विशेष सचिव,

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
जिला शहरी विकास अभिकरण- दरभंगा, गोपालगंज, गया, मुंगेर एवं कटिहार।

पटना, दिनांक-08/03/18

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-48 (स्कीम) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 05-अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ, लघु शीर्ष- 001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष- 0105-अभियंत्रण कोषांग हेतु विपत्र कोड- 48-2217050010105 विषय शीर्ष- 0105.31.04 सहायक अनुदान-वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि से जिला शहरी विकास अभिकरणों में कार्यरत कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के वेतनादि भुगतान हेतु वेतनादि मद में कुल ₹17.66265 लाख (सत्रह लाख छियासठ हजार दो सौ पैंसठ रु०) मात्र के सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 06.05.2008 के मद सं०- 65 में दी गई स्वीकृति एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 2563, दिनांक- 21.05.08 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला शहरी विकास अभिकरणों में कार्यरत कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के वेतनादि भुगतान (मकान किराया भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि) हेतु वेतनादि मद में अतिरिक्त राशि की अधियाचना के आलोक में कुल ₹17.66265 लाख (सत्रह लाख छियासठ हजार दो सौ पैंसठ रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०-131 दिनांक-08/03/18 के आलोक में सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	जिला शहरी विकास अभिकरण का नाम	कुल आवंटित राशि
1	2	3
1	दरभंगा	6.49387
2	गोपालगंज	1.33120
3	गया	7.00875
4	मुंगेर	2.12883
5	कटिहार	0.70000
कुल योग		17.66265

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹17.66265 लाख (सत्रह लाख छियासठ हजार दो सौ पैंसठ रु०) मात्र।

2. उपर्युक्त आवंटित राशि जिला शहरी विकास अभिकरणों में पूर्णकालिक व्यवस्था के तहत कार्यरत बिहार अभियंत्रण सेवा के कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के मार्च, 2017 से फरवरी, 2018 तक वेतनादि, बकाया वेतन तथा अन्य अनुमान्य भत्तों पर महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना से प्राप्त वेतन पर्ची के आधार पर व्यय की जायेगी। यह राशि जिस मद में स्वीकृत है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।
3. क्रमांक- 1 से 5 के स्तम्भ- 3 में आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यपालक अभियंता होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2017-18 में की जाएगी। राशि की निकासी कर संबंधित अभियंताओं को एकाउन्टपेयी चेक के द्वारा भुगतान किया जाएगा।
4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि के भुगतान के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र, टी०भी० नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति निश्चित रूप से विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
5. आवंटित राशि से बकाये वेतनादि का भुगतान जॉचोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा।
6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
7. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
8. संबंधित अभियंताओं के सामान्य भविष्य निधि लेखा एवं अनिवार्य गुप बीमा योजना मद में अनुमान्य राशि जमा करने हेतु उनके मूल वेतन से कटौती सुनिश्चित किया जायेगा।
9. यह राशि स्कीम मद के अनुदान मांग संख्या- 48 (स्कीम) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 05-अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ, लघु शीर्ष- 001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष- 0105-अभियंत्रण कोषांग हेतु विपत्र कोड- 48-2217050010105, विषय शीर्ष- 0105.31.04 सहायक अनुदान-वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगी।
10. आवंटित राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2018 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

11. सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक- 20.04.2017 में की गई अनुशंसा के आलोक में माननीय मंत्री द्वारा दिनांक- 25.04.2017 को दिया गया है।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- 2ब०/अभियंत्रण कोषांग(वेतन) 12-01/2017 132/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-08/03/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण/मुख्य अभियंता, बुडा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०प्रबंधक, को वेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

12



\* ई-मेल

स्पीड पोस्ट/निबंधित  
डाक

## बिहार सरकार

### नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 08/03/18

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-48 (स्कीम) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 05-अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ, लघु शीर्ष- 001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष- 0105-अभियंत्रण कोषांग हेतु विपत्र कोड- 48-2217050010105 विषय शीर्ष- 0105.31.04 सहायक अनुदान-वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि से जिला शहरी विकास अभिकरणों में कार्यरत कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के वेतनादि भुगतान हेतु वेतनादि मद में कुल ₹17.66265 लाख (सत्रह लाख छियासठ हजार दो सौ पैंसठ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 06.05.2008 के मद सं०- 65 में दी गई स्वीकृति एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 2563, दिनांक- 21.05.08 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला शहरी विकास अभिकरणों में कार्यरत कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के वेतनादि भुगतान (मकान किराया भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि) हेतु वेतनादि मद में अतिरिक्त राशि की अधियाचना के आलोक में कुल ₹17.66265 लाख (सत्रह लाख छियासठ हजार दो सौ पैंसठ रु०) मात्र की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	जिला शहरी विकास अभिकरण का नाम	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3
1	दरभंगा	6.49387
2	गोपालगंज	1.33120
3	गया	7.00875
4	मुंगेर	2.12883
5	कटिहार	0.70000
कुल योग		17.66265

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹17.66265 लाख (सत्रह लाख छियासठ हजार दो सौ पैंसठ रु०) मात्र।

**इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।**

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि जिला शहरी विकास अभिकरणों में पूर्णकालिक व्यवस्था के तहत कार्यरत बिहार अभियंत्रण सेवा के कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के मार्च, 2017 से फरवरी, 2018 तक वेतनादि, बकाया वेतन तथा अन्य अनुमान्य भत्तों पर महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना से प्राप्त वेतन पर्ची के आधार पर व्यय की जायेगी। यह राशि जिस मद में स्वीकृत है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।
3. क्रमांक- 1 से 5 के स्तम्भ- 3 में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यपालक अभियंता होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित कोषांग से वित्तीय वर्ष 2017-18 में की जाएगी। राशि की निकासी कर संबंधित अभियंताओं को एकाउन्टपेयी चेक के द्वारा भुगतान किया जाएगा।
4. चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषांगार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि के भुगतान के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र, टी०भी० नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति निश्चित रूप से विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
5. स्वीकृत राशि से बकाये वेतनादि का भुगतान जाँचोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा।
6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
7. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषांगार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
8. संबंधित अभियंताओं के सामान्य भविष्य निधि लेखा एवं अनिवार्य गुप बीमा योजना मद में अनुमान्य राशि जमा करने हेतु उनके मूल वेतन से कटौती सुनिश्चित किया जायेगा।
9. यह राशि स्कीम मद के अनुदान मांग संख्या- 48 (स्कीम) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 05-अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ, लघु शीर्ष- 001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष- 0105-अभियंत्रण कोषांग हेतु विपत्र कोड- 48-2217050010105, विषय शीर्ष- 0105.31.04 सहायक अनुदान-वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगी।
10. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2018 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति

में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

11. सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक- 20.04.2017 में की गई अनुशांसा के आलोक में माननीय मंत्री द्वारा दिनांक- 25.04.2017 को दिया गया है।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/अभियंत्रण कोषांग(वेतन) 12-01/2017 के पृष्ठ सं०-56/टि० पर दिनांक-7.3.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-57/टि० पर दिनांक-7.3.18 को प्राप्त है।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. इसकी सूचना जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- 2ब०/अभियंत्रण कोषांग(वेतन) 12-01/2017 131 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-08/03/18

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण/मुख्य अभियंता, बुडा/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०प्रबंधक, को वेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

